

**\*SOG व थाना काँट पुलिस ने अंतर्जनपदीय चोर/नकबजन गिरोह के शातिर चोर सामीन को किया गिरफ्तार,\***

**\*अवेध असलहा सहित जनपद एटा में की गई चोरी से सम्बन्धित भारी मात्रा में चोरी के आभूषण बरामद।\***

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व जघन्य अपराधों मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना कांट श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में SOG व थाना काँट पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

सामीन पुत्र साबिर निवासी ग्राम गढ़िया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायुं उम्र करीब 35 वर्ष

**गिरफ्तारीका दिनांक . समय व स्थल –**

दिनांक 28.08.2022 समय 21.50 बजे , मन्दिर रामलीला मैदान कस्बा कांट में बने चबूतरे से

**बरामदगी का विवरण –**

1. 01 अदद तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
  2. दो चूड़ी पीली धातु वजन 8.79 ग्राम
  3. एक चैन मय लोकिट वजन 20.77 ग्रा0 पीली धातु
  4. एक लोकिट 3.44 ग्रा0 पीली धातु
  5. चार जनानी अंगूठी वजन 11.58 ग्राम पीली धातु
  6. एक मर्दाना अंगूठी वजन 4.71 ग्राम पीली धातु
  7. एक कमर कंगनी 152.99 ग्राम सफेद धातु
  8. दो जोड़ी पायल 124.5 ग्राम सभी सफेद धातु
- (बरामद आभूषणो की कीमत करीब 03 लाख रूपये है।)

एस0ओ0जी0 व थाना काँट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28/29.08.2022 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सामीम पुत्र साबिर निवासी ग्राम गढ़िया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ को मन्दिर रामलीला मैदान कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व थाना राजा का रामपुर जनपद एटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2022 धारा 457/380 भादवि में चोरी गये माल पीली व सफेद धातु के 03 लाख रूपये के आभूषणों को बरामद किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना काँट पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि उक्त गैंग के 04 सदस्य एक हफ्ता पूर्व पुलिस मुठभेड मे सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किये गये थे जिनके कब्जे से करीब 06 लाख रूपये के जेवर विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित बरामद किये गये थे । उनके द्वारा ही पूछताछ पर सामीन व उसके पास चोरी के जेवर होना बताया गया था तभी से सामीन की गिरफ्तारी पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

**अनावरित अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0 55/2022 धारा 457/380 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।

**पंजीकृत अभियोग -**

1. मु0अ0सं0 472/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सामीम उपरोक्त
2. मु0अ0सं0 473/2022 धारा 411 भादवि बनाम सामीम उपरोक्त

**विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-**

1. निरीक्षक विकास कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 सन्त कुमार राठी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 रोहित कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 329 राजाराम पाल सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 534 रामसंजीवन एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1805 प्रभात चौधरी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर
8. हे0का0 302 शहनवाज आलम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
9. हे0का0 373 आमिर हसन थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 2497 भूमेश भाटी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 05 धीरज सिंह थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर